संख्या-10/2026-वे0आ0-2-449/दस-2026-ई0प0क0सं0-2015306

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 20 जुलाई, 2026**

विषय : उच्च शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन (भाग-2) के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुमन्य हो रहे वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 रू0 21,700-69,100 की वर्तमान व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जाय। उच्च शिक्षा विभाग के अन्य पदों पर अनुमन्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल (यू०जी०सी० से आच्छादित पदों को छोड़कर) को भी यथावत बनाये रखा जाय।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु यथावश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-10/2026-वे0आ0-2-449(1)/दस-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-01
(2) कार्मिक नियमावली सेल

आज्ञा से,
पुष्पराज,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in